# न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बिलाडा (जिला–जोधपुर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मृदुला शेखावत, आर०ए०एस०

राजस्व प्रा0पत्र संख्या : 72/2024

| –: प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण :– | बनाम | –: अप्रार्थीगण/वादीगण :– |
|---|---|---|
| 1. टोनेश लाकटीया पुत्र पुसाराम<br>2. पूसाराम पुत्र ढगलाराम<br>3. राकेश कुमार पुत्र पुसाराम जातियान मेघवाल निवासीगण प्लाट नंबर 14 खसरा नंबर 56 भगवान महावीर नगर नांदडी बनाड रोड जोधपुर | | 1. अलका पंवार पत्नी अविनाश<br>2. देवकीदेवी पत्नी लादूराम<br>3. सुरेश कुमार पुत्र हीरालाल जातियान मेघवाल निवासीगण भावी तहसील बिलाडा<br>4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) एवं पदेन उप पंजीयक बिलाडा |

## प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितः–

1. प्रार्थी/प्रतिवादीगण– श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी/वादीगण– श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 7/10/24

अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सी.पी.सी का पेश किया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 5668/5502 रकबा 1.4508 हैक्टयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी भूमि में प्रार्थी सं. 1 का 1/6 वां हिस्सा तथा 1/12 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 2 का तथा 1/6 वां हिस्सा प्रार्थी सं. 3 का है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 ने प्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व वाद पेश किया, जिसमें प्रार्थी सं. 1 से 3 के सम्मन की विधिवत तामिल कराये बीना ही दिनांक 23.09.2024 को एकतरफा प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गयी। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड के निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 23.09.2024 से असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक तरफा निर्णय पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मनों का अवलोकन किये बीना सम्मन की तामिल रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश देने में भारी विधिक भूल की गयी है। तारीख पेशी 16.06.2024 के सम्मन प्रार्थीगण पर विधिवत रूप से तामिल नहीं हुये है। क्योकि प्रार्थीगण ग्रम भावी में नहीं रह कर जोधपुर में रहते है। तथा प्रार्थीगण दिनांक 13.06.2024 को ग्राम भावी तहसील बिलाडा में नहीं थे। इस प्रकार वादीगण ने फर्जी कार्यवाही कर न्यायालय के साथ धोखा कर प्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय प्राप्त किया है, जो केवल इसी आधार पर निरस्त योग्य है। वादीगण ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष दावा को पेश किया, जिस पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन दिनांक 15.04.2024 को तलब करने का आदेश पारित किया गया। जो सम्मन तारीख पेशी दिनांक 15.04.2024 जारी ही नहीं किये गये है तथा न ही सम्मन तारीख पेशी 15.04.2024 को तामिल अथवा अदम तामिल होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुये है। इससे साफ जाहिर है कि वादीगण ने तामिल कुनिन्दा से साठ गांठ कर प्रतिवादीगण के सम्मन को न्यायालय में ही प्रस्तुत नहीं करवाया है, अगर तामिल कुनिन्दा नोटिस लेकर जाता तो अवश्य ही पडौसी लोग प्रतिवादीगण के भावी में नहीं रहकर जोधपुर में निवास करना बताते। इस कारण न्यायालय के साथ धोखा कर एक तरफा निर्णय करवाया है। यह प्रतिवादीगण के सम्मन तारीख पेशी 19.06.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस के ग्राम भावी तहसील बिलाडा में भेजे गये। वादीगण ने डाकिया से

लकर प्रतिवादीगण के सम्मन पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये है। ग्राम भाची में 15 वर्षो से निवास नहीं करते है। अतः इस प्रकार फर्जी कार्यवाही के आधार पर पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। पक्षकारों के बीच अचल सम्पति का विवाद है तथा प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि का खातेदार से उसे सुनवाई का अवसर दिये बीना उसकी खातेदारी भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन करने का आदेश पारित होने से प्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा एंव उसे अपूर्णनीय हानि होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण को दावे में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय मय डिक्री पर्चा दिनांक 23.09.2024 निरस्त करने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादीगण को जवाबदावा पेश कर सुनवाई का अवसर देकर दावे का निर्णय गुणावगुण पर करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसमें में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादीगण ने राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5668/5502 रकबा 1.4508 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज अप्रार्थी/वादी संख्या 1 अलका पंवार के 1/12 वां हिस्सा, अप्रार्थी/वादी संख्या 2 देवलीदेवी के 2/9 वां हिस्सा व अप्रार्थी/वादी संख्या 3 सुरेश कुमार के 5/18 वां हिस्सा के सम्बंध में प्रस्तुत वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण के सम्मन अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के खर्च से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु आदेश पारित किया तथा आदेश की पालना में अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता को जरिये दस्ती सुपुर्द किया तथा अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन दिनांक 11.06.2024 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये, जो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दिनांक 13.06.2024 को प्राप्त हो गये तथा जिसके सम्बंध में अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फार्म नं. 3 के साथ सम्मन की द्वितीय प्रति व पोस्टल रसीद की मूल प्रति व ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से विधिवत व सम्यक रूप से तामिल होना मानते हुए व प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजुद प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण बावजुद सम्मन तामिल व प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजुद उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की। तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2024 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की। जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही की गयी। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उनके सम्मन तामिल के सम्बंध में अनियमितता के आधार लिये, जबकि कानूनन सम्मन तामिल की अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उनके सम्मन तामिल के सम्बंध में अनियमितता के तकनीकी आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिये माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 को कानूनन अपास्त नही किया जा सकता है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् है जिसमें बंट का निर्धारण तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उभय पक्षों की आपति सुनने के बाद निर्णय व अन्तिम डिक्री द्वारा किया जाता है। जबकि अप्रार्थीध्वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में अभी तक न तो तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया है व न ही माननीय न्यायालय द्वारा कोई निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी की है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में

व अप्रार्थीध्वादी संख्या 1 से 3 के चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही बाई मेट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिससे प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव/परिवर्तन नहीं किया गया है व न ही प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से प्रभावित हुए है। कानूनन प्रार्थीगण बिना एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 को अपास्त करवाये अप्रार्थीध्वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में आगामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 द्वारा उनका वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा किसी प्रकार से प्रभावित होने का कोई उल्लेख नहीं किया है तथा प्रार्थीगण द्वारा स्वयं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि के सह काश्तकार होना स्वीकार किया है तथा उनका चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा प्रभावित नहीं होना बताया है। तथा कानूनन संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना माना जाता है तथा सहखातेदारी भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीध्वादी संख्या 1 से 3 के दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। पैरावाईज जवाब निम्न प्रकार है – माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 पारित करने में किसी प्रकार की कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। प्रार्थीगण स्थाई रुप से ग्राम भावी में ही निवास करते है तथा अस्थाई रुप से जोधपुर निवास करते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से उनके स्थाई निवास पते पर दिनांक 11.06.2024 को प्रेषित किये जो दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। रजिस्टर्ड डाक नियमानुसार प्राप्तकर्ता को ही दी जाती है अन्य किसी को नहीं दी जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के सम्मन दिनांक 10.06.2024 को जारी किये तथा आगामी तारीख 19.06.2024 नियत की गयी जो प्रार्थीगण के सम्मन की द्वितीय प्रति जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गयी, से स्पष्ट प्रमाणित है। प्रार्थीगण के रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सम्मन डाकिया द्वारा तामिल करवाया जाता है जिसमें अप्रार्थीध्वादी संख्या 1 से 3 की किसी प्रकार की सहभागीदारी नहीं होती है न ही ऐसी तामिल में किसी प्रकार की कोई फर्जी कार्यवाही होती है। प्रार्थीगण द्वारा डाकिये के विरुद्ध आज दिन तक किसी प्रकार की कोई शिकायत पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त पद में तामिल को लेकर लिया गया आधार निराधार व झूठा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादीगण ने राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5668/5502 रकबा 1.608 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज अप्रार्थी/वादी संख्या 1 मेलका पंवार के 1/12 वां हिस्सा, अप्रार्थी/वादी संख्या 2 देवलीदेवी के 2/9 वां हिस्सा व अप्रार्थी/वादी संख्या 3 सुरेश कुमार के 5/18 वां हिस्सा के सम्बंध में प्रस्तुत वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया। जिसमें प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन साधारण प्रक्रिया से तामिल हेतु जारी किये गये परन्तु उक्त जारी सम्मन को तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल या अदम तामिल रिपोर्ट के साथ माननीय न्यायालय में पेश नहीं किया। जिस पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के खर्चे से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के खर्च से रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने आदेश पारित किया तथा आदेश की पालना में अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने हेतु अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता को जरिये दस्ती सुपुर्द किया तथा अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन दिनांक 11.06.2024 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये, जो प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दिनांक 13.06.2024 को प्राप्त हो गये तथा जिसके सम्बंध में अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष फार्म नं. 3 के साथ सम्मन की द्वितीय प्रति व पोस्टल रसीद की मूल प्रति व ट्रेकिंग रिपोर्ट

[illegible] जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के सम्मन डाक से विधिवत व सम्यक रूप से तामिल होना मानते हुए व प्रतिवादीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सम्मन तामिल व पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने का आदेश पारित किया। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की [illegible] भूल नही की है। साधारण प्रक्रिया से प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन तामिल कुनिन्दा द्वारा प्रस्तुत नही करने में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा तामिल कुनिन्दा से किसी प्रकार की कोई सांठ गांठ नही की तथा प्रार्थीगण द्वारा आज दिन तक तामिल कुनिन्दा के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नही की है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त पद में साधारण प्रक्रिया से जारी सम्मन को लेकर लिया गया आधार निराधार व झूठा है। प्रार्थीगण स्थाई रूप से ग्राम [illegible] में ही निवास करते है तथा अस्थाई रूप से जोधपुर निवास करते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से उनके स्थाई निवास पते पर दिनांक 11.06.2024 को प्रेषित किये जो दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। रजिस्टर्ड डाक नियमानुसार प्राप्तकर्ता को ही दी जाती है अन्य किसी को नही दी जाती है। प्रार्थीगण स्थाई रूप से ग्राम भावी में ही निवास करते है तथा अस्थाई रूप से जोधपुर निवास करते है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से उनके स्थाई निवास पते पर दिनांक 11.06.2024 को प्रेषित किये जो दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। रजिस्टर्ड डाक नियमानुसार प्राप्तकर्ता को ही दी जाती है अन्य किसी को नही दी जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के सम्मन दिनांक 10.06.2024 को जारी किये तथा आगामी तारीख 19.06.2024 नियत की गयी जो प्रार्थीगण के सम्मन की द्वितीय प्रति जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा माननीय न्यायालय में पेश की गयी, से स्पष्ट प्रमाणित है। प्रार्थीगण के रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सम्मन डाकिया द्वारा तामिल करवाया जाता है जिसमें अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 की किसी प्रकार की सहभागीदारी नही होती है न ही ऐसी तामिल में किसी प्रकार की कोई फर्जी कार्यवाही होती है। प्रार्थीगण द्वारा डाकिये के विरूद्ध आज दिन तक किसी प्रकार की कोई शिकायत पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त पद में तामिल को लेकर लिया गया आधार निराधार व झूठा है। अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् है जिसमें बंट का निर्धारण तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत होने के बाद उभय पक्षों की आपति सुनने के बाद निर्णय व अन्तिम डिक्री द्वारा किया जाता है। जबकि अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में अभी तक न तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव पेश किया है व न ही माननीय न्यायालय कोई निर्णय व अन्तिम डिक्री जारी की है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही बाई [illegible] एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने हेतु निर्णय दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की है, जिससे प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से में किसी प्रकार का कोई बदलाव/परिवर्तन नही किया गया है व न ही प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से प्रभावित हुए है व न ही वादग्रस्त कृषि भूमि की मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है। [illegible] प्रार्थीगण बिना एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 को निरस्त करवाये अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में आगामी कार्यवाही में भाग ले सकते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.09.2024 द्वारा उनका वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा किसी प्रकार से प्रभावित होने का कोई उल्लेख नही किया है तथा प्रार्थीगण [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि के सह काश्तकार होना स्वीकार किया है तथा उनका चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा प्रभावित नही होना बताया है। तथा [illegible] संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना माना जाता है तथा सहखातेदारी भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नही होता [illegible] तथा अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के दर्ज हिस्से अनुसार [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/वादी संख्या 1 से 3 के दर्ज हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी भी प्रकार की [illegible] दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने में किसी भी प्रकार की

विधिक भूल नहीं की है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले
नीय है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन, गण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण/वादीगण के जवाब प्रार्थना पत्र तथा नीय राजस्व न्यायलय द्वारा हस्तगत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में पारित निर्णय/आदेश नांक 23.09.2024 का ससम्मान अध्ययन किया, विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर उस पर किया। वादीगण अलका पंवार ने दिनांक 01.04.2024 को प्रतिवादीगण के द्ध राजस्व वाद बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का राजस्व वाद सं. 35/2024 गण अलका बनाम टोनेश लाकटिया वगैराह का पेश किया, प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 15.04.2024 नियत कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब गया। तारीख पेशी दिनांक 15.04.2024 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर दिगर में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 10.6.2024 को मुकर्र की गई तथा 10.6.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 की तलबी हेतु वादी वकील को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से पेश किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश किया स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी 19.6.2024 को मुकर्र की गई। 19.6.2024 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर दिगर कार्य में व्यस्त होने से ी आयन्दा दिनांक 16.7.2024 को मुकर्र की गई। उसके बाद तारीख पेशी 14.8.2024 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर दिगर कार्य में व्यस्त होने से ी आयन्दा दिनांक 18.9.2024 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय ही अमल में लाई गई तथा दिनांक 23.09.2024 को हस्तगत प्रकरण में पारित आदेश एवं डिक्री के संबंध में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण टोनेश वगैराह द्वारा ने राजस्व सं. 35/2024 में प्रतिवादीगण को समुचित तामिल नहीं होने तथा ग/प्रतिवादीगण के सम्मन पर हस्ताक्षर फर्जी होने के आधार पर प्रार्थनापत्र त आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश कर वाद संख्या 35/2024 में दिनांक 18.09.2024 को अमल में लाई एक पक्षीय ही तथा दिनांक 23.09.2024 को पारित प्राथमिक डिक्री आदेश एवं डिक्री को किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण/वादीगण ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से न्यायालय में वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया सकी तामिल प्रतिवादीगण को विधिवत सम्यक् हो गई थी तथा बावजूद तामिल के तिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के दिनांक 18.09.2024 को दिये जाकर प्रकरण में आगामी विचारण करते हुए वाद संख्या 35/2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया था इसलिए ण/प्रतिवादीगण की ओर से बिना किन्ही समुचित आधार के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ति आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता काबिल खारिज के होने से खारिज जावें।

अप्रार्थी/वादीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। न्यायिक दृष्टान्त *नवनीत बनाम मूलचन्द वगैरा 2025(2) डीएनजे (राज.) 646 में माननीय हाईकोर्ट न द्वारा अभिनिर्धारित किया सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9 नियम एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र खारिज किया– रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा तथा ट्रेक रिपोर्ट दर्शाती है कि नोटिस 6.6.2019 को डिलिवर किया– एक कार्यवाही 2 माह बाद प्रारम्भ की तथा डिक्री एक वर्ष बाद पारित की– निष्पादन वाही 2 माह बाद प्रारम्भ की तथा डिक्री एक वर्ष बाद पारित की– निष्पादन वाहियों का नोटिस भी समान पते पर भेजा व तामिल हुआ– प्रोसेस सर्वर की दर्शाती है कि पाने वाला कस्बे में नहीं था लेकिन यह बयान नहीं करती कि पता था अथवा कथित नाम का व्यक्ति नहीं मिला– अपीलाण्ट नेशनल ट्रेडर्स का राइटर था –सम्मन तामिल होने में अनियमितता, एकपक्षीय डिक्री अपास्त करने हेतु*

*...र नहीं है– निर्णीत, अपील में गुणागुण का अभाव है व खारीज की। इसी प्रकार ...क दृष्टान्त सबीर हुसैन बनाम गुडलक निरोलक पेन्टस लिमि. अपील नंबर ...21/2013 में माननीय हाईकोर्ट राजस्थान द्वारा अभिनिधारित किया गया कि* **Code civil procedure, 1908- Order 9 Rule 13- Ex parte decree cannot be setaside on the ground od irregularity in service**. इसी प्रकार पुररखाराम बनाम रेवतराम ...पील सं0 146/2023 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर। इसी प्रकार ...पील सं. 45/2024 धमेन्द्र बनाम अर्जुनलाल में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ...धपुर। इसी प्रकार *ईश्वरी प्रसाद बनाम ब्रहमानंद वगैरा 2021(2) आर आर टी 1412 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिधारित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 53– प्रतिवादी बी के विरूद्ध वाद एक ...क्षीय डिक्री किया– प्रतिवादी को पूर्व की कार्यवाहियों में एक पक्षीय आदेश अपास्त ...ने बगैर भाग लेने का अधिकार नहीं है लेकिन उपस्थित होने की तारीख से कार्यवाही ...हिस्सा ले सकता है– प्रतिवादी बी को वादी से जिरह का अवसर दिया जाना चाहिये ...अन्तिम डिक्री में संशोधन के संबंध में सूचना प्रतिवादी को नहीं दी– प्रतिवादी द्वारा ...88 व 188 के अन्तर्गत वाद पेश किया गया किन्तु धारा 11 सिविल प्रक्रिया ...हिता के अन्तर्गत खारिज किया– विलम्ब शमन हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट किया– धारा ... सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत तर्क सम्मत आदेश पारित करना चाहिये ...निर्णीत आदेश सही अपास्त किये।*

आदेश 09 नियम 13 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निम्नानुसार विधिक प्रावधान हैः–

*...तिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना– किसी ऐसे मामले में जिसमें ...किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त ...के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री ...की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की ...सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वाद की सुनवाई के लिए पुकार होनें पर ...संजात होनें से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, ...लय में जमा करनें के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, ...लय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक ...अपास्त कर दी जाएं, और वाद में आगे कार्यवाही करनें के लिए दिन नियत करेगा;*

*परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध अपास्त ...की जा सकती है वहां व अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के ...द्ध भी अपास्त की जा सकेगी;*

*परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है ...तिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होनें के लिए और ...का उत्तर देनें के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल ...आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।''*

वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान मनन ...या तथा गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि ...ावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 10.06.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से 3 को ...न जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी करने के आदेश जारी किये गये थे। जिसकी पालना ... वादीगण अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड डाक जारी कर डाक विभाग की रसीद सं. ...R185545500IN, RR185545511IN, RR185545525IN मय ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की ...से संलग्न पत्रावली किया गया। ट्रेकिंग रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 13.06.2025 को ...ण Delivered अंकित है। किन्तु उक्त ट्रेकिंग रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ...रजिस्टर्ड डाक को प्रतिवादीगण स्वयं ने प्राप्त किया या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा। ...दीगण अधिवक्ता द्वारा डाक विभाग के कर्मचारी द्वारा रजिस्टर्ड डाक देने के उपरान्त ...क्ष पंजिका पर रजिस्टर्ड डाक लेने वाले के हस्ताक्षर करवाये जाते है उसकी प्रति भी ...ी नहीं कि जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त रजिस्टर्ड डाक को प्रतिवादीगण स्वयं ने ...ी। पत्रावली की आदेशिका के अनुसार दिनांक 10.6.2024 को प्रतिवादीगण को रजि.

ारी किये गये थे, तथा पेशी दिनांक 18.9.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध य कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा दिनांक 23.09.2024 को प्राथमिक डिक्री ी गई। तारीख पेशी दिनांक 10.6.2024 और तारीख पेशी दिनांक 18.9.2024 य में केवल दिनांक 16.7.2024 को कार्यदिवस रहा तथा तारीख पेशी दिनांक 2024 व 14.8.2024 को पीठासीन अधिकारी दौरे पर दिगर कार्य में व्यस्त से उक्त दोनो पेशीया ईल्तवा की गई। अतः प्रथम दृष्टया देखा जाए तो दीगण को केवल एक कार्यदिवस का ही उपस्थित होने का अवसर दिया गया राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रावधान के अनुसार कम से कम से तीन र दिये जाने चाहिए थे जो कि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 को नहीं ए गये। आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की म्याद 30 एकपक्षीय कार्यवाही की तारीख से म्याद अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जाती है जिसकी प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा पूर्णत पालना की गई है। /वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होते सलिए प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम ीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

**:– आदेश –:**

अतः प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पत्र भलीभांति साबित होने व सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तथा का तारीख पेशी दिनांक 18.09.2024 एकपक्षीय कार्यवाही तथा प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 23.09.2024 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैशलशुमार दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/10/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से र सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा